राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2104/2011/चित्तौडगढ़

मैसर्स सत्यनारायण, शिवप्रकाश,
कपासन, चित्तौडगढ़। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, चित्तौडगढ़। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता,
अभिभाषक .....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/01/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 47/वैट/2010–11 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 17.08.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी का वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण दिनांक 22.03.2010 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, चित्तौडगढ़ (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा किया गया। जिसमें कमीशन एजेन्ट के मार्फत की गयी बिक्री का फार्म वैट–36 पेश नहीं करने पर कर रूपये 39,826/– ब्याज रूपये 9705/– कुल मांग रूपये 49,531/– कायम की गयी। उक्त मांग के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.08.2011 से अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये यह मांग कायम की गयी है। तथा उपायुक्त (अपील्स) द्वारा भी इसे यथावत रखने में भूल की है। उनके द्वारा कमीशन एजेन्ट के माफर्त यह बिक्री की गयी थी। जिस पर छूट दी जानी चाहिये थी। अतः अपील स्वीकार करने का आग्रह किया।

लगातार.....2

5. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णय को उचित बताकर उसे कायम रखने की प्रार्थना की।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा फार्म वैट–36 व वैट–36ए पेश नहीं किये है जिनके कारण कमीशन एजेन्ट के मार्फत की गयी बिक्री पर कम जमा का सत्यापन नहीं हो सकता है। उक्त फार्म के अभाव में यह छूट देय नहीं है। इस सम्बन्ध में राजस्थान वेट नियम 2006 के नियम 37(2) के प्रावधान निम्न प्रकार है :–

37. Accounts and documents relating to principal and agent:

(2.) Where the principal dispatches goods for sale to his commission agents under sub-rule (1) and produces certificate of the sale proceed in VAT-36 received from his commission agent, such principal shall discharge his tax liablitiy as par from as par from VAT-36A

उक्त नियम के अध्ययन से स्पष्ट है कि वेट फार्म 36 व 36ए पेश किया जाना आवश्यक है। उक्त के अभाव में कमीशन एजेन्ट द्वारा कर जमा कराया या नहीं इसका सत्यापन नहीं होता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से कर व ब्याज आरोपित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

7. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

20-1-14

(अमर सिंह)
सदस्य